

:: कार्यालय ज्ञाप ::

शैक्षिक सत्र 2018-19 के विषम संख्यक सेमेस्टर का अध्ययन / अध्यापन 25 जुलाई, 2018 दिन बुधवार से प्रारम्भ होना निर्धारित है। बी०टेक० / एम०सी०ए० / एम०टेक० एवं पी०एच०डी० (नवप्रवेशित छात्रों को छोड़ कर) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों का विगत शैक्षिक सत्र के परीक्षा परिणाम के आधार पर वर्तमान शैक्षिक सत्र 2018-19 के विषम संख्यक सेमेस्टर में पंजीकरण निम्नवत् समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होगा।

दिनांक	समय	सेमेस्टर
23/07/2018 एवं 24/07/2018 (सोमवार एवं मंगलवार)	10:30 बजे पूर्वान्ह से सायं 05:00 बजे तक	बी०टेक०/एम०सी०ए० एवं एम०टेक० एवं पी०एच०डी० (पूर्ण एवं अंशकालिक) (नवप्रवेशित छात्रों को छोड़ कर)

शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिये द्वितीय वर्ष एवं अगले वर्षों के छात्र / छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण एवं शुल्क जमा की व्यवस्था की जा रही है। विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित वार्षिक शुल्क का विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। समस्त छात्रों से अपेक्षा है कि वेबसाइट पर इंगित निर्धारित शुल्क एच०बी०टी०यू० की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आई०सी०आई०सी०आई गेट-वे के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें।

राज्य शासन के विभिन्न कल्याण विभागों द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 2.50 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की पात्रता हेतु वर्तमान में उनके संरक्षक / अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय रू० 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो, निर्धारित है। केन्द्र शासन की मेरिट कम मीन्स योजना के अन्तर्गत छात्र के संरक्षक / अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय रू० 2.50 लाख वार्षिक निर्धारित है। शासन के विभिन्न कल्याण विभागों से छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु सभी पात्र छात्रों द्वारा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट (<http://scholarship.up.nic.in>) पर सीधे आवेदन अपलोड किया जायेगा। साथ ही ऐसे समस्त छात्रों से अपेक्षा है कि ऑनलाइन प्रेषित उक्त छात्रवृत्ति आवेदन का प्रिन्ट समस्त संलग्नकों सहित शैक्षिक अनुभाग में पटल सहायक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों को शासन द्वारा निःशुल्क पंजीकरण / प्रवेश अनुमन्य किये जाने के निदेश के दृष्टिगत छात्रों से अपेक्षा है कि वह छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र को शैक्षिक अनुभाग से प्राप्त कर लें अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। तदोपरान्त पूर्ण रूप से भरे हेतु आवेदन पत्र को समस्त संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय स्तर पर गठित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति अनुशासक समिति से संस्तुत कराते हुये शैक्षिक अनुभाग में पटल सहायक को प्रस्तुत कर अपना पंजीकरण दी गई उक्त समय सारिणी में कराना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट (<http://scholarship.up.nic.in>) पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करना भी सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे समस्त छात्रों से अपेक्षा है कि ऑनलाइन प्रेषित उक्त छात्रवृत्ति आवेदन का प्रिन्ट समस्त संलग्नकों सहित शैक्षिक अनुभाग में पटल सहायक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार की "मेरिट कम मीन्स" अथवा राज्य सरकार की दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया जाता है, उनसे अपेक्षा है कि ऑनलाइन अपलोडेड उक्त छात्रवृत्ति आवेदन का प्रिन्ट समस्त संलग्नकों सहित शैक्षिक अनुभाग में पटल सहायक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त विभिन्न संवर्गों की छात्रवृत्ति के आवेदक छात्रों को अवगत कराना है कि शासकीय व्यवस्थान्तर्गत किसी भी छात्र को मात्र एक ही छात्रवृत्ति की अनुमन्यता है। छात्रों से अपेक्षा है कि वे किसी एक छात्रवृत्ति हेतु ही आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अन्य आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।

छात्रवृत्ति हेतु इच्छुक समस्त छात्रों से अपेक्षा है कि वे छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के संलग्नक के रूप में पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (तीन वर्षों के अन्दर बना हुआ) तथा संवर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (प्रमाण पत्रों पर उ0प्र0 शासन की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 11 अंकों का निर्गमन संख्या अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिये) एवं माता / पिता / अभिभावक द्वारा छात्र सहित परिवार के दो से ज्यादा सदस्यों के उक्त योजना के लाभार्थी न होने का शपथपत्र अनिवार्य रूप से पंजीकरण की तिथि को सम्बन्धित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन अपलोड करने की अन्तिम तिथि के सन्दर्भ में छात्रों को अलग से सूचित किया जायेगा।

समस्त संवर्ग के छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि शासन के सम्बन्धित विभागों द्वारा सीधे छात्र के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले छात्रों से अपेक्षा है कि उनके बैंक खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के हस्तान्तरित होते ही वे विश्वविद्यालय के शैक्षिक अनुभाग में छात्रवृत्ति पटल सहायक से सम्पर्क कर दिशा-निर्देश के अनुसार निर्धारित सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क विश्वविद्यालय खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

निर्धारित तिथि जुलाई 23 एवं 24, 2018 के उपरान्त पंजीकरण दिनांक 03 अगस्त, 2018 तक रू0 100/- प्रति कार्य दिवस के विलम्ब शुल्क के साथ ही स्वीकार किया जायेगा। शैक्षिक सत्र 2018-19 के विषम संख्यक सेमेस्टर में पंजीकरण की कार्यवाही अन्तिम रूप से दिनांक 03 अगस्त, 2018 तक सम्पन्न की जायेगी तदोपरान्त किसी भी दशा में पंजीकरण अनुमन्य नहीं होगा। नियत तिथि तक पंजीकरण न करा सकने से उत्पन्न होने वाली विषम स्थिति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र का होगा।

शैक्षिक सत्र 2018-19 के विषम संख्यक सेमेस्टर का अध्ययन / अध्यापन 25 जुलाई, 2018 दिन बुधवार से प्रारम्भ हो जायेगा। छात्र भिन्न हो कि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित परिनियमों के अनुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में ही उपस्थिति में छात्र को चिकित्सीय आधार सहित 15 प्रतिशत की शिथिलता अनुमन्य है। अतः छात्रों से अपेक्षा है कि वह अपने स्वयं के हित में सत्र के प्रारम्भ से ही अपनी कक्षाओं में नियमित रहें क्योंकि वांछित उपस्थिति न होने की स्थिति में छात्र को क्लास टेस्ट / सत्रान्त_परीक्षाओं से वंचित कर दिया जायेगा एवं इस हेतु छात्र ही पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

संलग्नक: यथोक्त।

(आनन्द कुमार)
अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, अनुभाग प्रभारी, सहायक कार्यशालाधीक्षक, प्रभारी पुस्तकालय एच0बी0टी0यू0 कानपुर को संज्ञानार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि इसे विभागीय सूचनापट्ट पर छात्रों के सूचनार्थ प्रदर्शित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, एच0बी0टी0यू0, कानपुर को दस प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ कि इसे छात्रावासों के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित कर्मियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर के संज्ञानार्थ व इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय में विगत शैक्षिक सत्र में अध्ययनरत समस्त छात्रों के परीक्षाफल पंजीकरण की तिथि से पूर्व दिनांक 15 जुलाई 2018 तक शैक्षिक कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. संयोजक, समय-सारिणी समिति, एच0बी0टी0यू0 कानपुर के संज्ञानार्थ।
5. सम्बन्धित छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति, एच0बी0टी0आई0 कानपुर के समस्त सदस्यों के सूचनार्थ।
6. सिस्टम मैनेजर, एच0बी0टी0यू0 कानपुर को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
8. वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
9. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति कार्यालय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(आनन्द कुमार)
अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप